उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक – 02.11.2024**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**

## थाना श्रीनगर की संयुक्त पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 05 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंशल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रिया कलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 02.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री शिवपाल सिंह के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई।

उ0नि0 विजय शंकर पाण्डेय व उ0नि0 विकाश धर दूबे के नेतृत्व में प्रथम पुलिस टीम ने ग्राम बिलरही थाना श्रीनगर के पास सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.निर्दोश राजपूत पुत्र रमेश राजपूत उम्र 27 वर्ष 2.तेजसिंह राजपूत पुत्र लक्ष्मी राजपूत उम्र 32 वर्ष 3.मुस्कान राजपूत पुत्र ग्यासी राजपूत उम्र 50 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनकी जामातलाशी से 450/- रूपये, मालफड 750/- रूपये कुल 1200/- रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद होने पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 239/24 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

इसी क्रम में व0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम ने ग्राम बरा के पास सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.राम स्वरूप अहिरवार पुत्र स्व0 घसीटा अहिरवार उम्र 38 वर्ष 2.संदीप अनुरागी पुत्र तुलाराम अनुरागी उम्र 20 वर्ष निवासीगण ग्राम बरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनकी जामातलाशी से 390/-रूपये, मालफड 2200/- रूपये कुल 2590/- रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद होने पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 240/24 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

### गिरफ्तार करने वाली प्रथम पुलिस टीम –

1. उ0नि0 विजय शंकर पाण्डेय
2. उ0नि0 विकाश धर दूबे
3. हे0का0 अनिल कुमार यादव

### गिरफ्तार करने वाली द्वितीय पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव
2. का0 सूरज सोनकर 3.का0 विकास सरोज

### बरामदगी-

अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 3790/- रुपये सहित 52 अदद ताश पत्ता बरामद।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 02.11.2024

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

## ◆ मिशन शक्ति अभियान-5 के तहत जनपद के समस्त थानों में गठित एण्टी रोमियों टीमों द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरुक किया गया-

मिशन शक्ति अभियान फेज - **5.0"** व "शक्ति दीदी" अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक **02.11. 2024** को जनपद के प्रत्येक थाने में गठित मिशन शक्ति/एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रअन्तर्गत स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके विरुद्ध हो रहे विभिन्न अपराध जैसे- सार्वजनिक स्थलो में छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं/अपराधओं को रोकने के लिये एवं ऐसे अपराधों के प्रति आवाज उठाने के लिये उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया।

इस दौरान उनकी सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू**0**पी**0-112** नम्बर, वूमेन पावर लाइन **1090,** यूपी कॉप एप, महिला हेल्प लाइन **181,** मुख्यमंत्री हेल्प लाइन **1076,** चाइल्ड हेल्प लाइन **1098,** साइबर हेल्पलाइन **1930** इत्यादि के बारे में जानकारियां प्रदान की गई । इस दौरान सभी को अवगत कराया गया कि सभी थानों में उनकी सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा उनकी शिकायतें सुनी जाती हैं तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है।

## पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा श्री स्वामी गोवर्धन नाथ जी मेला चरखारी का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 02.11.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा श्री स्वामी गोवर्धन नाथ जी मेला चरखारी के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस/राजस्व अधिकारियों के साथ मेला स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं व्यापक पुलिस प्रबन्ध करते हुये यातायात/सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक निर्देश।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मेला प्रबंधन समिति से समुचित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा की गयी तैयारियों की समीक्षा भी की, साथ ही निर्देश दिया कि दो दुकानों के बीच के मार्गों को चौड़ा रखा जाए जिससे लोगों को दूर-दूर चलने में परेशानी ना हो और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी ना हो।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि मेला स्थल के अंदर वाहनों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित रखा जाए, आयोजन समिति को पूर्ण आश्वस्त किया कि पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और समिति को मेला आयोजन करने में पूरी मदद पुलिस करेगी।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़, नायब तहसीलदार श्री मेहकांत मिश्रा, चेयरमैन श्री पप्पू कुशवाहा, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द सिंह गौर, थानाध्यक्ष चरखारी श्री गणेश गुप्ता व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक – 02.11.2024**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**

## थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौंड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर श्री शिवपाल सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह मय हमराह का0 विकास सरोज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त कल्लू रैकवार पुत्र बसोरी रैकवार उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम बिलखी थाना श्रीनगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 प्लाष्टिक की बोरी में 18 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए विलखी तिराहे से पास कस्बा व थाना श्रीनगर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 243/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

कल्लू रैकवार पुत्र बसोरी रैकवार उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम बिलखी थाना श्रीनगर जनपद महोबा

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

01. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह
02. का0 विकास सरोज